

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड  
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-540-01-170/2016 पार्ट-2

खादी बोर्ड ज्ञापांक सं०-338 दिनांक-04.09.2017 द्वारा श्री शंभु कुमार, महल्ला-रामनगर, पो०-जी०पी०ओ०, जिला-पटना को रद्दी कागजों का अधिकतम दर रू० 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) बोली लगाने के आधार पर दिनांक- 04.09.2017 तक राशि जमा कर बिक्री करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने सामग्री ले जाने से इनकार किया एवं इनकार के संबंध में लिखित भी दिया गया। सामानों को नहीं ले जाने के कारण बोर्ड के पुराने भवनों को तोड़कर नया भवन बनाया जाने के कार्य में बाधा पहुँचाया एवं बोर्ड की वित्तीय क्षति हुई इसलिए श्री शंभु कुमार को काली सूची में डाला जाता है तथा भविष्य में किसी निविदा में भाग लेने के अयोग्य होंगे। इसे बोर्ड के वेबसाईट पर डाल दिया गया है।

६६

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- पृष्ठ/ 404

पटना, दिनांक- 26/09/2017

प्रतिलिपि :- श्री शंभु कुमार, महल्ला-रामनगर, पो०-जी०पी०ओ०, पटना 01/प्रशाखा पदाधिकारी (प्र०)/राहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/रोकड़पाल/दिलीप कुमार, सत्रि प्रहरी/निर्गत प्रभारी गाडं एवं निजी संचिका, खादी बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

25/9/17